

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक 04/रा0ब0सहा0निधि/सेल-2/2017/
प्रति,

भोपाल,दिनांक / /2017

1. समस्त संयुक्त संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजनान्तर्गत निजी चिकित्सालयों को उपचार करने की स्वीकृती के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ-9-01/2017/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 07.02.2017 द्वारा संलग्न सूची अनुसार शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि दी गई है।

उपरोक्त संलग्न सूची के कॉलम नं. 3 में दर्शाई गई बीमारियों के लिए मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के नियम कमांक 02 के खण्ड घ के अन्तर्गत उक्त मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत उपचार करने की स्वीकृति दी जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृति के दौरान निम्न निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे :-

1. पात्र हितग्राहियों को ही चिकित्सा राशि स्वीकृत की जावे एवं योजनान्तर्गत सभी निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन किया जावे।
2. चिकित्सा संस्था का उपचार प्राक्कलन निर्धारित बीमारी के पैकेज की सीमा का हो। यदि प्राक्कलन पैकेज से अधिक हो तो संबंधित संस्था से उसका स्पष्टीकरण लिया जावे। पैकेज से अधिक राशि की मांग करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव भेजे जावे।
3. प्रत्येक चिकित्सा सहायता राशि की स्वीकृति आदेश में यह उल्लेख किया जावे कि रोगी के उपचार उपरांत चिकित्सा संस्था को सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, शेष राशि एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिवस में अनिवार्य रूप से भेजे तथा जो रोगी 3 माह तक उपचार कराने नहीं आता है, उसकी चौथे माह में राशि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वापस भेजी जावे।

उक्त निजी चिकित्सालयों द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना से संबंधित शासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न:-06 चिकित्सालयों की सूची

संचालक, (रा.बी.स.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

भोपाल,दिनांक 14/12/2017

पृ.क 04/रा0ब0सहा0निधि/सेल-2/2016/

89

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
4. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
6. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
7. समस्त, संचालक.....।
8. प्रभारी, एम.आई.एस. डिजीवन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र एवं सूची को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संचालक, (रा.बी.स.नि.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

**राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत राज्य के अंदर निजी चिकित्सालयों की मान्यता प्राप्त सूची
(वर्ष -2017)**

क्रं	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
1.	मेदांता हॉस्पिटल, विजय नगर, इन्दौर।	हृदय रोग, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, न्यूरो सर्जरी, हेड इंजुरी।	09/11/2019 तक मान्यता।
2.	जबलपुर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रसल कासिंग, जबलपुर	हृदय रोग, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, होमोडायलिसिस।	06/09/2019 तक मान्यता।
3.	सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास रिसर्च सेंटर, दीशितपुर, जबलपुर।	न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट।	31/12/2017 तक मान्यता।
4.	संजीवन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, 628 रामनगर, आधारताल, जबलपुर।	न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट।	31/12/2017 तक मान्यता।
5.	एल. बी. एस. अस्पताल, मोदिया तालाब, भोपाल।	हेड इंज्युरी, हृदय रोग।	31/12/2017 तक मान्यता।
6.	बंसल हॉस्पिटल, सी-सेक्टर, शाहपुर भोपाल।	किडनी ट्रान्सप्लान्ट।	31/12/2017 तक मान्यता।


उष संचालक (रा.बी.स.नि.)
 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।